संख्या-46/2021/भा0स0-205 /58-1-21-2/1(24)17

**प्रेषक,**

**गरिमा यादव,**

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**निदेशक,**

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार/राज्य पोषण मिशन,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 26 नवम्बर, 2021

**विषय- पोषण अभियान के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं हेतु मासिक प्रोत्साहन (Monthly Incentive) प्रदान करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, सीपीएमयू, पोषण अभियान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-पीए/29/2018-सीपीएमयू, दिनांक 01.11.2021 (मयसंलग्नक छायाप्रति संलग्न) द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को मासिक प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गये हैं, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल किया गया है:-

**मासिक प्रोत्साहन मापदण्ड (Monthly Incentive Criteria)**

1. **दिनांक 01.04.2021 से 31.10.2021 तक के लिए:-**

**आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों हेतु:-**

(1) पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करना एवं लाभार्थियों का डाटा अपलोड करना।

(2) लाभार्थियों को घर-घर जाकर टेक होम राशन (टीएचआर) वितरण करना।

आंगनवाड़ी सहायिकाओं हेतु:-

कोविड-19 के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकत्री को टेक होम राशन (टीएचआर) वितरण में सहयोग व अन्य सहयोग प्रदान करना।

2. **दिनांक 01.11.2021 के बाद के लिए:-**

**आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों हेतु:-**

(1) ग्रोथ मॉनिटरिंग: प्रत्येक माह में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 0-6 वर्ष के कम से कम 80 प्रतिशत सामान्य, अन्डरवेट, सैम, मैम, स्टंटेड और वेस्टेड बच्चों का मापन किया गया हो।

(2) होम विजिट: होम विजिट शेड्यूलर के अनुसार गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और 02 वर्ष तक के बच्चों का कम से कम 60 प्रतिशत होम विजिट।

**आंगनवाड़ी सहायिकाओं हेतु:-**

(1) आंगनवाड़ी खोलना: प्रत्येक माह कम से कम 21 दिन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलना (पोषण ट्रैकर की सूचना पर आधारित)।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**मासिक प्रोत्साहन राशि :**

(1) आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा उपर्युक्त मानदण्डों को पूरा करने पर रू0 500.00 (रू पांच सौ मात्र) की धनराशि प्रदान की जाएगी।

(2) इसी प्रकार आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा उपर्युक्त मानदण्डों को पूरा करने पर रू0 250.00 (रू0 दो सौ पचास मात्र) की धनराशि प्रदान की जाएगी।

**मासिक निष्पादन प्रोत्साहन (Monthly Performance Incentive) के पेमेन्ट की प्रक्रियाः**

(1) दिनांक 01.04.2021 से 31.10.2021 तक मासिक निष्पादन प्रोत्साहन आई0सी0डी0एस0 मुख्य सेविका /बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उनके प्रमाणित रिकार्ड/रिपोर्ट/सूचनाओं के आधार पर आकलित किया जाएगा।

(2) दिनांक 01.11.2021 के बाद आंगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिका हेतु मासिक निष्पादन प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगाः-

- The report listing all AWWs and AWHs who have met the incentive criteria will be auto-generated through the Poshan Tracker at the end of every month. This information will be accessible at the Block, District and State level (The poshan Tracker is being updated to include this provision).
- This auto-generated report will be available to the ICDS Supervisor and the CDPO through the Poshan Tracker dashboard.
- The ICDS Supervisor/CDPO will authorize payment to the listed AWWs and AWHs by sending the signed report to the appropriate authority to release payments (as per State systems)
- The Payment will be made through Direct Beneficiary Transfer (DBT), preferably by the 15th of the next month.

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01.11.2021 में की गयी अपेक्षानुसार प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को मासिक प्रोत्साहन **(Monthly Incentive)** प्रदान करने के सम्बन्ध में उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन तत्काल प्रारम्भ कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

**संलग्नकः यथोक्त।**

भवदीया,

**(गरिमा यादव)**
विशेष सचिव।

**संख्या-46(1)/2021/भा0स0-205 /58-1-21-2/1(24)17, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी।
2. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(महावीर प्रसाद गौतम)**
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in